जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक 26.08.2023

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से नशीला पदार्थ बरामदः-

आज दिनांक 26.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब निर्माण/बिक्री/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर 01 मादक पदार्थ तस्कर को 150 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नौशाद पुत्र बाबू कुरैशी निवासी मौहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 150 ग्राम चरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 422/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 589/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

3. मु0अ0सं0 544/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 621/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5. मु0अ0सं0 117/15 धारा 147/341 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा विवाहिता पर तरल पदार्थ डालकर गम्भीर रुप से घायल करने के मामले में 01 वांछित गिरफ्तारः-

आज दिनांक 26.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर विवाहिता पर तरल पदार्थ डालकर गम्भीर रुप से घायल करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 15.07.2023 को श्री खालिद पुत्र नफीस निवासी ग्राम खांजापुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर की बहन के ऊपर अभियुक्त शाबिर द्वारा तरल पदार्थ (गर्म सरसों का तेल) डालकर गम्भीर रुप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थानाध्यक्ष झिंझाना को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साबिर पुत्र फीका निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0स0 267/2023 धारा 326A भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI